संख्या–1605/9–9–10– 76ज/10

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2010

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8/1015–शा0/152 (।।) /त्0रा0वि0 आ0/2010–11 दिनॉक 01.06.2010, जिसके माध्यम से यह स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है कि निकायों द्वारा 1/12 भाग की आहरित धनराशि से वेतन,पेशन इत्यादि के वितरण के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बचती है तो सम्बन्धित निकाये आवश्यकतानुसार विकास कार्य पर व्यय कर सकती है अथवा नही, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों को आवंटित धनराशि का उनके द्वारा 1/12 भाग प्रतिमाह आहरण के पश्चात् आहरित धनराशि से कर्मियों के वेतन,पेंशन भत्ते और पेंशन आदि के भुगतान के बाद अवशेष बचती है तो अवशेष धनराशि को निकायों के बैंक में खुले उनके खाते में रखा जायेगा साथ ही साथ उक्त अवशेष धनराशि से निकायों में विकास कार्य ही कराया जायेगा।

तदनुसार समस्त नागर निकायों को अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।